न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 16/2011

1 रोशन कुमार पुत्र कैलाशचन्द मोदी [illegible] 39 साल जाती महाजन निवासी नीमकाथाना जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

पुर्नविलोकन आवेदन विरूद्व अपील निर्णय
श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी सीकर
दिनांक 20.10.2008 प्रकरण संख्या 15/07
उनवानी रोशन कुमार बनाम सरकार जिसके
तहत अपील अस्वीकार की गई

उपस्थिति :

1. श्री कालुराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

दिनांक:- 22-7-19

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 15/2007 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना के निवेदन पर अपर जिला कलेक्टर सीकर ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट रोशन कुमार को ग्राम लाखा की नांगल की भूमि खसरा नम्बर 336/12 में से 1 हैक्टेयर भूमि का आंवटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा दिनांक 24.06.1999 को किया गया आवंटन अपने निर्णय दिनांक 14.06.2001 से निरस्त कर दिया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय 20.10.2008 से खारिज की गई। इसके विरूद्व अपीलांट ने यह पुनावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति है, निर्धन है अपीलांट को नियमानुसार आंवटन किया गया था तहसीलदार नीमकाथाना स्वंय आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य थे। आवंटन के उपरान्त अपीलांट को नामान्तकरण दर्ज कर कब्जा सम्भलाया गया था तकनिकी खामी के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया है। यह निर्णय उचित नही है। अपीलांट को न्यायालय के निर्णय की जानकारी उनके वकील द्वारा नही दी गई पर दिनांक 25.07.2011 को निर्णय की जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। निर्णय में कोई लिपिकीय अथवा गम्भीर

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कानूनी भूल होना जाहिर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील विचाराधीन निर्णय से आवंटन नियमों की पालना नही करने पर आंवटन खारिज कर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत मानते हुये अपीलांट की अपील खारिज की गई इस निर्णय में कोई गम्भीर कानूनी त्रुटि अथवा लिपिकीय भूल होना अपीलांट ने प्रकट नही किया है। पुनरावलोकन की परिधि सीमित है ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवेदन स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-1-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर